न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 130/2015 **दायर दिनांकः 08/09/2015**

उनवान

1. कजोडीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
2. मोहनलाल आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
3. बीरबल आयु 48 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
4. बलराम आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।
5. लक्ष्मी बाई आयु 57 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि जगन्नाथ जाति धोबी निवासी आटोन हाल निवासी मुण्डेरी तहसील झालावाड जिला झालावाड़
6. मन्जू बाई आयु 48 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि श्योपाल जाति धोबी निवासी आटोन हाल निवासी उमरया पोस्ट सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः— पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 27/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू के पुराने ख०न० 945 का रकबा 8बीघा जमीन दि० 14.06.1965 को अलोट हुई थी।, वक्त एलोट से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता जब तक जीवित थे काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। पट्टा गैर खातेदारी का वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। आपके अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारीगण ने दोरान सेटलमेन्ट पुराने ख0न0 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का नया ख0नं0 1409 का रकबा 2.35 है0 बनाकर उसमें वादीगण के स्वामित्व की आराजी को सम्मिलित कर दिया। जो अवैधानिक एवं गैर कानूनी है। जबकि उक्त वर्णित आराजी का नया रकबा 1.28 है0 वादीगण के पिता के दर्ज करना चाहिए था । वादीगण के पिता की मृत्यु 9 वर्ष पूर्व सेटलमेन्ट के बाद हो चुकी हैं। पुराने खं0नं0 945 का रकबा 8 बीघा का नया रकबा 1.28 है0 वादीगण खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नोलिशी हैं। नवीन नकल जमाबंदी खाता संख्या 1 सम्वत् 2069 से 2072 एवं मिलान क्षेत्रफल, नवीन नक्शा ट्रेस, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर है। वादीगण के पिता के पूर्वजो के स्वामित्व की आराजी को खाल खदर दर्ज कर सरकार के खाते दर्ज कर देने से वादीगण को उनके पूर्वजों के एलोट हुई आराजी से वंचित होना पड रहा है तथा प्रतिवादी वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। इस वजह से वादीगण वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि रिकार्ड दुरस्त कर निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को उनके पिता के एलोट हुई 8 बीघा आरजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आरजी पर से बेदखल कर दे तो पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावें तथा प्रतिवादी को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके पिता को एलोट हुई आराजी पर शान्ती पूर्वक काश्त करने देवे उसमे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही रकं ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। वाद खातेदारी घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड दुरूस्ती का होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पत्र पेश किया गया है।

राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही वादीगण द्वारा धारा 80(2) सी०पी०सी का अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत कर रहें है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा वादीगण के पिता के एलोट शुदा आराजी को सरकार के खाते दर्ज कर देने से तथा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.06.2015 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को आराजी पर बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी ग्राम व माल आटोन तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि:—

(अ) रिकार्ड दुरस्त कर वादीगण को पुराने खं नं. 945 का रकबा 8 बीघा के नये खं नं. 1409 का रकबा 2.35 है मे से 1.28 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में खाते दर्ज किया जावें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह खाता संख्या 1409 का रकबा 1.28 है0 जिस पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वादीगण के पिता छीतरलाल पुत्र नन्दा धोबी निवाडी आटोन को ग्राम आटोन खसरा नं0 945 किस्म बंजड में से रकबा 8 बीघा दिनांक 14.06.1965 को आवंटन हुई थी जिसका पट्‌टा दिनांक 12.7.1965 को आंवटन अधिकारी (तहसीलदार अटरू) द्वारा जारी किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा न0 945 ,21 बीघा 10 बिस्वा का नवीन ख0नं0 1409 रकबा 2.35 है बना है जो जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 खाता सं. 1 पर सिवायचक [illegible] (चरागाह है0) में दर्ज रेकार्ड अनुसार है जिस पर आंवटी के पुत्रगण काबिज [illegible] धारा 91 की रिपोर्ट होती है अतिक्रमी बतौर काबिज है। बंदोबस्त कार्य अवधि 1989 से 20[illegible] तक हुआ था जिसे अर्सा 24 वर्ष हो गये थे तथा वादी के पिता जिसके नाम आवंटन हुई थी। [illegible] की मृत्यु भी सेटलमेन्ट के 9 वर्ष बाद होना वादपत्र में अंकित है परन्तु न तो आंवटी ने भू प्रबंध कार्य कच्चा पर्चा एवं पर्चा लगानी जारी हुआ है उस वक्त भी प्रतिरोध नहीं किया । इस प्रकार वाद अवधिपार होने से खारिज योग्य है। वाद का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

जिस प्रकार तहरीर किया है स्वीकार नहीं है। बिन्दु संख्या 5 कानूनी है। बिन्दु संख्या 6 कानूनी है। बिन्दु संख्या 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बिन्दु संख्या 8 न्यायालय से संबन्धित है। बिन्दु संख्या 9 कानूनी है। बिन्दु संख्या 10 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है। स्वीकार नहीं है। आवंटी का आवंटन पश्चात आंवटित भूमि ख0 नं0 945 रकबा 8 बीघा दिनांक 14.06.1965 के आंवटन की कब्जा रिपोर्ट जो भूमि पटवारी हल्का द्वारा आंवटी छीतरलाल धोबी को संभलायी है एवं आंवटी मय कब्जा प्राप्त किया गया है कि प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न नहीं है नवीन खसरा नं. 1409 रकबा 2.35 है0 भूमि सिवायचक तो है लेकिन किस्म खाल खादर है एवं चरागाह के लिये उपयोग की है आवंटी छीतरलाल की संतानों का ही खसरा नं0 1409 में अतिक्रमण चला आ रहा है धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है ना काबिज काश्त होने से किस्म परीवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को है अतः वादपत्र स्वीकार नहीं है।

दावे व जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की

1. आया कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तह0 अटरू में वादीगण के पिता छीतर पुत्र नन्दा जाति धोबी निवासी आटोन के पुराने ख.नं. 945 का रकबा 8 बीघा जमीन दिनांक 14.6.1965 को ऐलोट हुई थी। उक्त ऐलोट शुदा आराजी पर जबतक छीतर जीवित था काश्त करता चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के वाद से वादीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है।

   वादीगण

2. आया कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने दौरान सेटलमेन्ट ख.नं. 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का नया ख.नं. 1409 का रकबा 2.35 है बनकाकर उसमे छीतर के ऐलोटशुदा 8 बीघा आराजी का रकबा सम्मिलित कर दिया जो वर्तमान में खाल खदर सरकार के खाते दर्ज है। जबकि 8 बीघा आराजी का नया रकबा 1.28 है0 छीतर के दर्ज होना चाहिए था जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

   वादीगण

3. आया कि नया ख0नं0 1409 का रकबा 2.35 है0 में से 1.28 है0 पर वादीगण कृषक घोषित होने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि वह 1.28 है0 आराजी जिस पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

   वादीगण

4. दादरसी

साक्ष्यवादी क तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया ।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी 1— वाके ग्राम एवं माल आटोन तह0 अटरू में वादीगण के पिता छीतर पुत्र नन्दा जाति धोबी निवासी आटोन के पुराने ख.नं. 945 का रकबा 8 बीघा जमीन दिनांक 14.6.1965 को ऐलोट हुई थी। उक्त ऐलोट शुदा आराजी पर जब तक छीतर जीवित था काश्त करता चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के वाद से वादीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ भूमि पट्‌टा गैर खातेदारी का छीतर पुत्र नन्दा धोबी ग्राम आटोन को दिनांक 12.7.65 को ख.नं. 945 की 8 बीघा किस्म बंजड आवंटित हुई थी। जो प्रदर्श 1 ए है। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग 1 जुलाई 1939 से जून 2009 मे साबिक ख नं. 945 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का हाल ख. नं. 1409 रकबा 2.35 है0 बनाये गये। जिनको खाल खदार दर्ज कर दिया । जबकी वादी के पिता मृतक छीतर लाल के नाम 8 बीघा यानि 1.28 है0 भूमि खाते दर्ज होनी चाहिये थी। रिकार्ड व जवाब तहसीलदार अटरू अनुसार वादीगण आंवटी के पुत्रगण के विरूद्ध धारा 91 की रिपोर्ट हो रही है। कब्जा वादीगण का ही है। रिकार्ड के आधार पर तनकी नं 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी 2 — सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने दौरान सेटलमेन्ट ख.नं. 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का नया ख.नं. 1409 का रकबा 2.35 है बनकाकर उसमे छीतर के ऐलोटशुदा 8 बीघा आराजी का रकबा सम्मिलित कर दिया जो वर्तमान में खाल खदर सरकार के खाते दर्ज है। जबकि 8 बीघा आराजी का नया रकबा 1.28 है छीतर के दर्ज होना चाहिए था जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा ख.नं. 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का नया ख.नं. 1409 का रकबा 2.35 है बनाकर उसमे छीतर के ऐलोटशुदा 8 बीघा आराजी का रकबा सम्मिलित कर दिया वादीगण द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन पत्र, मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी , धारा 91 की वसूली पर्चा आदि के आधार पर स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादी के पिता को आंवटित 8 बीघा भूमि को सिवायचक (खाल खदर) दर्ज कर दिया। RRD 1983 पेज 64 मातादीन बनाम श्रीराम, RRD 1997 पेज 504 पूसा राम बनाम राजस्व मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

मामलों में माननीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ''दौराने सेटलमेंट ASO को खातेदार का नाम परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है।''

WLC (Raj) 1996 (1) पेज 284 पूसा राम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में माननीय न्यायालय में व्यवस्था दी है कि Correction of entry in record of rights post Settlement power and remedy in respect of Land Records Officer has power to correct error creeping in revenue record during settlement operations.

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार का नाम बिना किसी विधिक प्रक्रिया के न तो सेटलमेंट के दौरान बदला जा सकता है और न ही बाद सेटलमेंट।

प्रतिवादी ने उक्त विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने हेतु किसी भी विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। जिसका उनकों कोई अधिकार नहीं था। अतः तनकी नं. 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं 3 –आया कि नया 1409 का रकबा 2.35 है0 में से 1.28 है0 पर वादीगण कृषक घोषित होने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि वह 1.28 है0 आराजी जिस पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था, प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार नया ख. नं. 1409 रकबा 2.35 है0 में से 1.28 है0 भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। तनकी नं. 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

वादीगण द्वारा बहस के दौरान आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जिसमें कथन किया गया कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में पुराने ख.नं. 945 का रकबा 8 बीघा के नये ख.नं. 1409 का रकबा 1.28 है0 हम वादीगण के दर्ज खाता है। जिसमें हमारा प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा बनता है। वादिया क्रम 5 व 6 ने अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से 1/6 – 1/6 की आराजी का हकत्याग अपने पक्ष में कर दिया है। इसलिए वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/4 – 1/4 रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद एवं हकत्याग के मुताबिक राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन के पुराने ख.न. 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा के नये ख.नं. 1409 का रकबा 2.35 है0 किस्म खाल खदर में से 1.28 है0 पर वादीगण क्रम 1 लगायत 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण क्रम 5 व 6 नें अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से 1/6 – 1/6 का हकत्याग अपने सगे भाइयों वादी क्रम 1 लगायत 4 के पक्ष में कर दिया गया है। बाद हकत्याग वादी क्रम 1 ल 4 को हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर 1/4 –1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 130/2015

उनवान

1. कजोडीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
2. मोहनलाल आयु 50 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
3. बीरबल आयु 48 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन
4. बलराम आयु 45 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धोबी निवासी आटोन तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।
5. लक्ष्मी बाई आयु 57 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि जगन्नाथ जाति धोबी निवासी आटोन हाल निवासी मुण्डेरी तहसील झालावाड जिला झालावाड़
6. मन्जू बाई आयु 48 वर्ष पुत्री छीतरलाल पत्नि श्योपाल जाति धोबी निवासी आटोन हाल निवासी उमरया पोस्ट सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एव
136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः– पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन के पुराने ख.न. 945 का रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा के नये ख.नं. 1409 का रकबा 2.35 है0 किस्म खाल खदर में से 1.28 है0 पर वादीगण क्रम 1 लगायत 6 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण क्रम 5 व 6 नें अपनी स्वेच्छा से अपने हिस्से 1/6 – 1/6 का हकत्याग अपने सगे भाइयों वादी क्रम 1 लगायत 4 के पक्ष में कर दिया गया है। बाद हकत्याग वादी क्रम 1 ल 4 को हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर 1/4 –1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ व [illegible] खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से ता अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.05 12:17:50 IST
Reason: SelfAttested